कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 7563-75 एम.सी./स्था/राज/4/2022 भोपाल,दिनांक 22/2/2022

//विज्ञापन//

" मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–2–42/07/1/55 भोपाल दिनांक 17.12.2021 के सीनियर रेसिडेन्ट नियम के अनुसार एवं रिक्त पदो पर लागू रोस्टर नियम – सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 07–41/2021/अ.पि.व/एक दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संस्था में रिक्त सीनियर रेसिडेन्ट के पदों हेतु साक्षात्कार द्वारा नियुक्तियॉ की जाना है। भर्ती नियम गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की वेंबसाइट www.gmcbhopal.net.in पर उपलब्ध है।

आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन समस्त दस्तावेजो की छाया प्रति एवं अनारक्षित श्रेणी के आवेदक को 1000 रू एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदको को 500 रू (डी.डी/संस्था से आवेदन शुल्क की रसीद के माध्यम से जमा कर छाया प्रति संलग्न करे) के साथ **दिनांक 03/03/2022 सांय 5 बजे** तक स्वयं अथवा पोस्ट द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की आवक शाखा में जमा कर सकते है। निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नही किया जावेगा।

सीनियर रेसीडेंट रिक्त पदो की जानकारी

S.No.	Subject	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.जा.	कुल
01	Medicine	1	1	0	0	02
02	Surgery	2	1	1	0	04
03	Orthopedics	1	1	1	0	03
04	Obst.& Gynecology	2	1	1	0	04
05	Radio diagnosis	1	0	0	0	01
06	C.T. Surgery	1	0	0	0	01
07	Cardiology	1	0	0	0	01
08	Anesthesia	2	1	1	1	05
09	Urology	1	0	0	0	01
10	Radiotherapy	1	0	0	0	01
	Total	**13**	**05**	**04**	**01**	**23**

उपरोक्त चिन्हित पदों में अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. = अन्य पिछड़ा वर्ग, के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित है । सीनियर रेसीडेंट का वेतन – 76000/– (निर्वहन भत्ता), अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविघालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित ।

1. संभागायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल ।
3. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, हॉस्टल ब्लाक ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी।
4. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की **Website** पर ।

22/02/2022

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविघालय स्वशासी समिति, भोपाल

आवेदन पत्र का प्रारुप

गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति, भोपाल(मध्यप्रदेश)

सीनियर रेसीडेंट

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र वर्ष–20.......

फोटो मय हस्ताक्षर

विज्ञापन क्रमांक...

अंतिम तिथि...

विषय...

नोट – सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. NEFT/IMPS/बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक......................दिनांक......................राशि......................

   बैंक का नाम...

2. आवेदक का नाम अंग्रेजी के केपिटल लेट्रस में ....

3. आवेदक का नाम हिन्दी में ....

4. आवेदक का (लिंग)..पुरुष / महिला......................

5. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)..

6. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)..

   ....

   मोबाइल क्रमांक..

7. स्थाई पता...

   ....

   मोबाइल क्रमांक...................................... ई–मेल. आई.डी......................................

8. जन्मतिथि (हाई स्कूल / हायर सेंकेंण्ड्री परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)

9. अंतिम तिथि को आवेदक की आयु..............दिन..............माह..............वर्ष..............

10. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी हैं – हॉ / नहीं..

11. जन्म स्थान की जानकारी – शहर......................................जिला......................राज्य..............

12. बॉण्डेट कॅंडिडेट है / अथवा नहीं ।

13. मूल प्रमाण–पत्र यदि शासकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में जमा है तो उसका प्रमाण – पत्र संलग्न करें।

14. वर्ग – अनारक्षित / अनु.जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग..

    (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

15. मेडिकल काउसिल का पंजीयन क्रमांक एवं राज्य का नाम..

    (मेडिकल काउंसिल का स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

15. **शैक्षणिक योग्यताए :-** (प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

16. **शैक्षणिक अनुभव :-**

क्र.	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	अशैक्षणिक / शैक्षणिक	अवधि
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

17. सेवारत है, तो नियोक्ता का नाम, पद, स्थान...
(अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।

18. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची...

स्थान..............................

हस्ताक्षर..............................

दिनांक..............................

आवेदक का पूरा नाम..............................

वचन पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगां। मुझ पर चिकित्सा महाविद्यालय कें संवर्धन एवं संविलियन तथा भर्ती नियम पूर्ण रूपेण वंधनकारक होंगे। इन नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेंगा।

हस्ताक्षर..............................

आवेदक का पूरा नाम..............................

घोषणा पत्र

मै. ....यह घोषणा करता/करती हुँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय मे होने वाले सीनियर/जूनियर रेसिडेन्ट के पद के लिये साक्षात्कार मे उपस्थित हुआ/हुई हूँ इसके अतिरिक्त मैं अन्य किसी शासकिय सेवाओं मे कार्यरत नही हुँ, अगर कार्यरत पाया जाता हूँ/जाती हूँ तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

दिनांक :--

आवेदक का नामः—......................................

हस्ताक्षर :—..

SENIOR RESIDENT
CHECK LIST

Name of Candidate.. ...Category....................

Subject/Post &Category applied for...

Option & Drafts..Total No of Drafts..........................

Contact No ....

Documents

1. High School /Higher Secondary.Date of Birth & Age......................................
2. MBBS Marks Aggregate/Total......................Percentage(%)..........35%..............
   Name of College..
3. MBBS Degree University Name..
4. Internship Completione Certificate...
5. MD/MS/MCh Degree/MSc/PH.D..............................Year of Passing.....................
   Name of College..Registration No...................
6. PG Attempts 1st /2nd /3rd ....
7. Higher Qualification DM/MCH...
8. Post PG Experience ....
   ....
9. Publications/Presentation in indexed Journal No:...
   ....Nations/state..
10. Cast Certificate ....
11. Domicile Certificate(M.P.)...
12. MBBS Registration No.(State)...
13. MD Registrations (State)..State Council
14. Employer's NOC if working...State Council

Declaration- I hereby declare that I am working / Not working in any Govt./Semi Govt. institution at present.

Name &Signature of Candidate

(Name & Signature of Scrutiny officer)

Signature of Chairman

सीनियर रेसीडेन्टस पात्रता :-

1. सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस/डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी. एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।
2. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. एन.एम.सी. द्वारा समय-समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

अपात्रता:-

1. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
2. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
3. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
4. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यव्हार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर ।
5. बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नही माने जायेगें।
6. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी।

चयन विधि :-

(i) अधिष्ठाता द्वारा नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदो के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदो के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है उसी विषय के लिए पात्रता होगी।

(iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।

(v) विभिन्न विषयो में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारो का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।

(vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

(vii) ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(viii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियाँ रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारो पर विचार किया जायेगा।

टेन्युअर (Tenure):-

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।

(iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त

होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होगें।

आरक्षण :–

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः सबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरो/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।

(iii) आरक्षति वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सको से भरी जा सकेगी।

अवकाश :–

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता हागी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणो पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

वेतन भत्ते :–

(i) एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी/डिप्लोम/एम.डी.एस उत्तीर्ण एवं चयनित उम्मिदवार को निर्वाहन भत्ता 76000/– देय होगा। अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(ii) प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

टीप :–

(i) जिन प्रदर्शको/ट्यूटरों/ चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा जिस कारण चिकित्सा महाविद्यालय उक्त पद के विरूद्ध किसी अन्य चिकित्सक को नियुक्त नही करेगा।

आवेदन शुल्कः–

1. सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/– एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रू. 500/– का बैंक ड्रॉफ्ट अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारीं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल के नाम संलग्न करना/आवेदन शुल्क की रसीद अधिष्ठाता कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा। जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, यदि अनारक्षित श्रेणी के पद हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें रू. 1000/– का बैंक ड्रॉफ्ट देना होगा।
2. उपरोक्त नियम व शर्तें शासन के पत्र कमांक 1200–02/स्था/राज/2021 भोपाल, दिनांक 24.12.2021 होंगी।

1795
8/12/21

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / स्था / राज / 2021

भोपाल, दिनांक 24 / 12 / 2021

अधिष्ठाता
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल / इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा / सागर
विदिशा / दतिया / रतलाम / खण्डवा / शिवपुरी / शहडोल / छिंदवाड़ा।

संचालक,
मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर

प्राचार्य,
शासकीय, स्वशासी दंत चिकित्सा,
इंदौर।

विषयः– चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेसीडेंट एवं सीनियर रेसीडेंट की चयन पद्धति।

संदर्भः – अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 2–42 / 2007 / 1 / 55 दिनांक 17.12.2021

::::::::::::::::

विषयान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेसीडेंट एवं सीनियर रेसीडेंट की चयन पद्धति के संबंध में संदर्भित शासन आदेश संलग्न प्रेषित है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर एवं सीनियर रेसीडेंट के नवीन समय–समय पर पद सृजित किये गये है तथा इस संबंध में राज्य शासन द्वारा सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट की चयन प्रकिया एवं पात्रता संबंधी समय समय पर आदेश जारी किये गये है।

अतः शासन द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुये जूनियर / सीनियर रेसीडेंट के पदों के लिये चयन प्रकिया / पात्रता संदर्भित आदेश द्वारा जारी किये गये है। उक्त आदेशों का अक्षरशः पालन करने तथा सर्वसंबंधितों को पालनार्थ भेजा जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक / 12 / 2021

पृ0क्रमांक / स्था / राज / 2021

प्रतिलिपिः–

प्रभारी आई.टी. सेवा स्थानीय कार्यवाही की ओर संदर्भित शासन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है, कि उक्त आदेश कों संचालनालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2–42/07/1/पचपन, भोपाल, दिनांक 17/12/2021

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश।

विषय :– **चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेसीडेन्ट एवं सीनियर रेसीडेन्ट के चयन पद्धति।**

संदर्भ :– **आपकी टीप क्रमांक 2449/स्था./राज./07 दिनांक 26.07.2007**

—00—

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेसीडेन्ट एवं जूनियर रेसीडेन्ट के एम.सी.आई. के मापदण्डानुसार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–1/07/3/05 दिनांक 24.05.2007 द्वारा स्वीकृत पदों का चिकित्सा महाविद्यालयवार विभाजन किया जाकर समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ **2–42/07/1/पचपन दिनांक 23.08.2007 द्वारा** सीनियर रेसीडेन्ट एवं जूनियर रेसीडेन्ट के पदों के लिये चयन प्रक्रिया निर्धारित करते हुये समसंख्यक पत्र क्रमांक डी–745/587/2010/1/55 दिनांक 06.03.2010 द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की पात्रता में संशोधन किया गया। तत्पश्चात समय–समय पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जाकर जूनियर एवं सीनियर रेसीडेन्ट के नवीन पद सृजित किये [illegible] जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये [illegible] निम्नानुसार चयन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1/ <u>जूनियर रेसीडेन्टस</u>

<u>पात्रता</u> :–

(i) जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व, एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।

अयोग्यता :–

(i) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी **निर्देशों** का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(ii) विधि द्वारा स्थापित [illegible] कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(iii) पाठ्यक्रम [illegible] छात्र/छात्रा के [illegible] होना।

(iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

(v) बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नही माने जायेगें।

(vi) उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा इंटर्नशिप पूर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले Internship Completion Certificate में इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

चयन विधि :—

(i) अधिष्ठाता द्वारा नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) योग्य अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में लगे Attempts, सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के सकल प्रतिशत एवं साक्षात्कार के आधार पर नियत होगा।

(iii) चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से [illegible] चिकित्सकों को [illegible] तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

(iv) चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। चयनित चिकित्सक द्वारा मध्य में सेवायें छोडने पर शेष अवधि के लिये प्रतीक्षारत चिकित्सक का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष तक के लिये वैध होगी।

(v) **चयनित जूनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।**

टेन्युअर (**Tenure**) :—

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा।

[illegible] दिखाई [illegible] [illegible] उनकी सेवाएं तत्काल अथवा [illegible] समाप्त करने का अ[illegible]र अधि[illegible]ता का होगा।

आरक्षण :–

(i) राज्य शासन द्वारा [illegible] निर्धारित आरक्षण [illegible] लागू होगी।

(ii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अवकाश :–

जूनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृति :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

2/ **सीनियर रेसीडेन्टस**

पात्रता :–

(i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. / डिप्लोमा / एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।

(ii) चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(iii) एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

अपात्रता :–

(i) एम.डी. / एम.एस. / एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता / प्राचार्य, चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(ii) विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

(iii) पाठ्यक्रम अवधि [illegible] होना।

(iv) पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में [illegible], अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

(v) बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से [illegible] कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नही माने जायेगें।

(vi) उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण–पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी।

<u>चयन विधि</u> :–

(i) अधिष्ठाता द्वारा नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

(ii) चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के [illegible] पर विचार किया जायेगा।

(iii) चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है, उसी विषय के लिए पात्रता होगी।

(iv) चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।

(v) विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।

(vi) चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

<u>टेन्युअर (Tenure)</u> :–

(i) टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।

(ii) 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।

(iii) विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेन्ट के सम्बन्ध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, [illegible]

[illegible] के [illegible] 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होगें।

<u>आरक्षण</u> :–

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेंसी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।

(iii) आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य [illegible] के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

<u>अवकाश</u> :–

सीनियर रेसीडेन्ट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश [illegible] तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

<u>शिष्यावृति</u> :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

3/ <u>प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का सीनियर रेसीडेन्ट में चयन</u> :–

<u>पात्रता</u> :–

(i) सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. / डिप्लोमा / एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।

(ii) [illegible] द्वारा [illegible] अहर्ताएं स्वतः लागू होगी।

(iii) [illegible] प्रदर्शक/ट्यूटर [illegible] ने एम.डी./एम. [illegible]/एम.डी.एस. किया [illegible] लिए सीनियर [illegible] की पात्रता [illegible]

चयन विधि :-

(i) ऐसे प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें सीनियर रेसीडेन्ट के पद के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(ii) साक्षात्कार के समय जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों ने उसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. किया है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जावेगी। तदोपरांत रिक्तियाँ रहने पर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

<u>सीट का आरक्षण</u> :-

(i) राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

(ii) निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा।

वेतन भत्ते :

(i) प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी को अपने पद से संबंधित वेतन भत्तों की पात्रता होगी।

<u>अवकाश</u> :-

(i) इनको सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर रहते हुये मूल पद से जुड़े किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता नही होगी।

<u>टीप</u> :-

(i) जिन प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों को सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर पदस्थ किया गया है, ऐसे प्रदर्शक/ट्यूटर/चिकित्सा अधिकारी का अपने मूल पद के विरूद्ध धारणाधिकार स्थापित रहेगा, जिस कारण

चिकित्सा म[illegible]विद्यालय उक्त पद [illegible] विरुद्ध किसी अन्य [illegible]
नियुक्त नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के [illegible] से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. वर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 17/12/2021

पृ.क्रमांक एफ 2–42/07/1/पचपन,

प्रतिलिपि :–

1. **अपर मुख्य सचिव,** मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. **आयुक्त**, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. **संभागायुक्त**, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं शहडोल मध्यप्रदेश की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. **समस्त अधिष्ठाता**, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया एवं छिंदवाड़ा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य, शासकीय स्वशासी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] भवन, भोपाल-[illegible]

क्रमांक एफ-07-41/2021/[illegible]/एक   भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग, जिनमें पदों की संख्या 01 से 08 है, के लिये मॉडल रोस्टर।

-0-

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है, जो कि दिनांक 08 मार्च, 2019 से प्रभावशील है। तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से प्रभावशील है।

2/ जिन संवर्गों में 08 से ज्यादा पद है उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04/01/2020 द्वारा जारी 100 बिंदु रोस्टर प्रभावशील रहेगा।

3/ विभिन्न स्थापनाओं के अधीन कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 08 अथवा उससे कम है (01 से 08 पद), उनके लिए राज्य शासन द्वारा मॉडल रोस्टर लागू किया जाता है जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट एक एवं दो अनुसार होगी।

4/ अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों/संवर्गों के लिये संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये अनुसार मॉडल रोस्टर संधारित किया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारियों की सुविधा के लिये उक्त मॉडल रोस्टर को संधारित करने की प्रक्रिया का उदाहरण संलग्न परिशिष्ट-दो में दर्शाया गया है।

[illegible] शासन द्वारा [illegible] 02 [illegible] 05 [illegible] मॉडल [illegible] से 08 पदों के लिए मॉडल रोस्टर लागू किया जा रहा है। इस मॉडल रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिनांक 08 मार्च, 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिनांक 02 जुलाई, 2019 से दिया जाकर प्रविष्टियाँ की जाएं। साथ ही पूर्व से प्रचलित 02 से 05 बिन्दु मॉडल रोस्टर पैरा-1 में उल्लेखित तिथियों के पूर्व प्रत्येक संवर्ग में हुई नियुक्तियों की प्रविष्ठि अद्यतन की जाकर, पूर्व रोस्टर वहीं पर फ्रीज किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट-एक एवं दो।

(विनोद कुमार)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-07-41/2021/आ.प्र./ एक

भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, [illegible]

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री / राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
13. महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।

15. निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग [illegible] 318 [illegible] भवन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए [illegible] हिल्स, भोपाल

16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय फ्लैट नं 103 तजस्वी अपार्टमेंट द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।

17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग / पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।

18. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग,

19 आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।

20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण / अभिलेख शाखा, मंत्रालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(कलिस्ता कुजूर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग